"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जून 2012—आषाढ़ 9, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 5475/21-ब/छ.ग./12.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्र. 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05 दि. 24-2-2005 एवं 7169/डी-2157/21-ब/छ.ग./05 दि. 6-9-2005 (कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के क्षेत्राधिकारिता के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

संशोधन

अनुसूची-2

1. सरल क्रमांक 3, 4, 5 व 5 क की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् —

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
3	न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	दुर्ग	सिविल न्यायालय बेमेतरा तथा बालोद के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला दुर्ग.

(1)	(2)	(3)	(4)
4	न्यायालय प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग **टीप**—वह प्रधान न्यायाधीश, दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा.
5	न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	(क) दुर्ग (ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान बालौद, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिये	(क) राजस्व जिला दुर्ग **टीप**— वह प्रधान न्यायाधीश दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा. (ख) व्यवहार न्यायालय बालोद का स्थानीय क्षेत्राधिकार.
5-क	न्यायालय तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	(क) दुर्ग (ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान चतुर्थ सप्ताह में एक सप्ताह के लिये	(क) राजस्व जिला दुर्ग **टीप**— वह प्रधान न्यायाधीश दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा. (ख) व्यवहार न्यायालय बेमेतरा का स्थानीय क्षेत्राधिकार.

Raipur, the 30th June 2012

NOTIFICATION

F. No. 5475/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following further amendment in this department's previous notification No. 1507/D-397/XXI-B/C.G./05, dated 24-2-2005 and notification No. 7169/D-2157/XXI-B/C.G./05, dated 6-9-2005 (as amended from time to time relating the jurisdiction of family Court Durg) as follows :—

AMENDMENT

Schedule-II

1. For the entries in serial No. 3, 4, 5 and 5A of the schedule the following shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Name of the Court and District (2)	Headquarters (3)	Jurisdiction (4)
3	Court of Principal Judge, Family Court, Durg	(a) Durg	(a) Revenue District, Durg excluding the jurisdiction of Civil Courts at Bemetara and Balod.
4	Court of Ist Additional Principal Judge, Family Court, Durg	(a) Durg	(a) Revenue District, Durg **Note-** He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg.
5	Court of IInd Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	(a) Durg (b) Additional place of sitting at Balod for a week in the 2nd week of every month	(a) Revenue District, Durg **Note-** He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg. (b) Territorial jurisdiction of Civil Court Balod.

(1)	(2)	(3)	(4)
5 A	Court of IIIrd Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	(a) Durg (b) Additional place of sitting at Bemetara for a week in the 4th week of every month	(a) Revenue District, Durg **Note-** He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg. (b) Territorial jurisdiction of Civil Court, Bemetara.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.